

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख
अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :- 83/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हरीकिशन पुत्र पांचाराम		1. पुनमाराम पुत्र लाखाराम
2. जगराम पुत्र पांचाराम		2. भीखाराम पुत्र पुनमाराम
3. जमना पत्नी पांचाराम जातियान विश्नोई निवासी गड़रा खिचड़ान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।		3. मनोज कुमार पुत्र पुनमाराम
		4. प्रवीण कुमार पुत्र पुनमाराम
		5. हरजीराम पुत्र प्रतापाराम
		6. सुखराम पुत्र प्रतापाराम
		7. नेनाराम पुत्र मेघाराम
		8. सुजानाराम पुत्र मेघाराम
		9. मंगलाराम पुत्र रामूराम
		10. सुखराम पुत्र रामूराम जातियान विश्नोई निवासी गड़रा नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमन्ना
		11. आसूराम पुत्र सोनाराम
		12. भाखराराम पुत्र सोनाराम
		13. कमलेश पुत्र श्रीराम
		14. केसरीमल पुत्र कोजाराम
		15. तेजाराम पुत्र धूडाराम
		16. सदराम पुत्र धूडाराम
		17. मनोहरलाल पुत्र खंगाराराम
		18. मोहनलाल पुत्र खंगाराराम
		19. रामजीवण पुत्र आसूराम
		20. हरखू पत्नी खंगाराराम
		21. हरदास पुत्र अणदाराम
		22. सुखराम पुत्र सुरतानाराम जातियान विश्नोई निवासी गड़रा खिचड़ान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
		23. पुनमाराम पुत्र देरामाराम
		24. भागीरथराम पुत्र देरामाराम
		25. चम्पादेवी पत्नी बांकाराम जातियान विश्नोई निवासी भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान
		26. धनी पत्नी रामूराम फौत कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 9 व 10
		27. शाखा प्रबंधक दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
		28. तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर



27/10/23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :- 21/06/23

अधिवक्तागण :- 1. श्री रामनिवास विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण

- :: निर्णय :: -

दिनांक :- 27/10/23

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 184/1 रकबा 4.2897 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाशत लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढ़ा-सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काशत एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर पास में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काशत के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन काशत कर लेते हैं तथा काशत के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 08.05.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नहीं मान रहें हैं, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार हूँ। विवादित खेत मौजा जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/- के साथ पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 27 को जरिये रजिस्ट्रैड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाए गये नोटिसों की डाक रसीदें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 06.09.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं

27/10/23

अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई

अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा संख्या 184/1 रकबा 4.2897 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकॉर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 08.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 184/1 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 184/1 रकबा 4.2897 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— :: आदेश :: —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम जाणियों का मगरा पटवार मण्डल नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 13 के खसरा संख्या 184/1 रकबा 4.2897 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे-खर्चे से उसके खसरा संख्या 184/1 रकबा 4.2897 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।



(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 27/10/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना